उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-26/2019/एस-2-447/दस-2018-33(54)/2017
लखनऊ :: दिनॉक: 07 मार्च, 2019

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री रतन कुमार, वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा को एतदद्वारा उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त नियंत्रक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पद का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

2- श्री रतन कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-26/2019/एस-2-447(1)/दस-2019, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।